भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 657
जिसका उत्तर बुधवार, 20 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

करनूल में उच्च न्यायालय की स्थापना

657. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनूल में उच्च न्यायालय की स्थापना की मांग को लेकर विगत 50 दिनों से करनूल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करने और वादियों की समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : जी, हां। वकील करनूल में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना की मांग कर रहे हैं।

संविधान के अनुच्छेद 214 यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संविधान के अनुच्छेद 214 और भारत के संघ बनाम टी. धनगोपाल राव और अन्य[एसएलपी [सिविल) डा.सं.2018 का 29890] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी तारीख 29.10.2018 के आदेश के अनुसरण में, 01.01.2019 को आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए हैदराबाद में तत्कालीन सम्मिलित उच्च न्यायालय के परामर्श से आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय अर्थात् अमरावती स्थित प्रधान स्थान के साथ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अधीन स्थापित किया गया है। उच्च न्यायालय की स्थापना और चलाने का मामला राज्य सरकार के अधिकारक्षेत्र के अधीन है।

****